

## कार्यवाही विवरण

मेसर्स बालाजी एसोसिएट्स (प्रो.-श्री यज्ञदत्त शर्मा), ग्राम-कोदवा, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 342 (पार्ट), 345/1 एवं 345/2, कुल क्षेत्रफल-4.88 हेक्टेयर में प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता-96,720 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 04.10.2023 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान-बेमेतरा-दुर्ग राजकीय मार्ग पर स्थित खसरा नं.-341 रकबा-0.87 हेक्टेयर खाली भूमि, ग्राम-कोदवा, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स बालाजी एसोसिएट्स (प्रो.-श्री यज्ञदत्त शर्मा), ग्राम-कोदवा, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 342 (पार्ट), 345/1 एवं 345/2, कुल क्षेत्रफल-4.88 हेक्टेयर में प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता-96,720 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत परियोजना प्रस्तावक के आवेदन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समाचार पत्र द पायोनियर, नई दिल्ली में दिनांक 01.09.2023 एवं दैनिक समाचार पत्र, नवभारत, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में दिनांक 01.09.2023 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 04.10.2023 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान-बेमेतरा-दुर्ग राजकीय मार्ग पर स्थित खसरा नं.-341 रकबा-0.87 हेक्टेयर खाली भूमि, ग्राम-कोदवा, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़, कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला-बेमेतरा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला-बेमेतरा, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला-बेमेतरा, सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत कोदवा, जिला-बेमेतरा, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला-दुर्ग एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सेक्टर-19 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका-टिप्पणियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला-दुर्ग में कार्यालयीन समय में मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला-दुर्ग में लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में 01 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका-टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।

उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 04.10.2023 को समय प्रातः 11:30 बजे, स्थान-बेमेतरा-दुर्ग राजकीय मार्ग पर स्थित खसरा नं.-341 रकबा-0.87 हेक्टेयर खाली भूमि, ग्राम-कोदवा, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई। तत्पश्चात् परियोजना की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जगमोहन चंद्रा द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

तदोपरान्त अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला-बेमेतरा द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने, आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका-टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने उक्त परियोजना के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं, टीका-टिप्पणियां दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. **श्री दीपक साहू, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।**  
➤ ब्लास्टिंग से घर में कंपन्न होता है। प्रदूषण होता ही है। कोदवा मोहभट्टा खदान के माल को पहले यहां से लिया जाता था। आपत्ति है कि ब्लास्टिंग होता है।
2. **श्री राजेश कुमार, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।**  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूं।
3. **श्री समशेर सिंग, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।**  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूं।
4. **श्री विवेक कुमार तिवारी, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।**  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूं।
5. **श्री मोहन लाल साहू, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।**  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूं।
6. **श्री राजकुमार वर्मा, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।**  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूं।



7. श्री तीजूराम पॉल, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
8. श्री रमेश कुमार वर्मा, उपसरपंच, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
9. श्री रामपाल, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
10. श्री सुशांत नायक, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
11. श्री राहुल शर्मा, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
12. श्री श्रवण कुमार, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
13. श्री दिनेश कुमार साहू, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
14. श्री जितेन्द्र साहू, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
15. श्री राजूलाल साहू, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
16. श्री भरत दास, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
17. श्री कमलेश निषाद, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
18. श्री शशांक शेखर, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।



ay

19. श्री देवेन्द्र निषाद, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
20. श्री निखिल निषाद, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
21. श्री कमल निषाद, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
22. श्री गोलू मानिकपुरी, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
23. श्री प्रहलाद निषाद, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
24. श्री कान्हा निषाद, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
25. श्री माखन निषाद, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
26. श्री सुनील यादव, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
27. श्री जसवंत यादव, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
28. श्री अरुण कुमार, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
29. श्री लुकेश निषाद, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
30. श्री चंद्रशेखर सेन, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
31. श्री मनीष निषाद, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।



Am



32. श्री मोहित कुमार, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
33. श्री अजय कुमार, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
34. श्री भुवनेश्वर निषाद, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
35. श्री मोरध्वज वैष्णव, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
36. श्री मनहरण विलहरे, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
37. श्री प्रकाश निषाद, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
38. श्री राकेश नागदेव, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ। खदान की वजह से मेरा यहां दो पेट्रोल पम्प चल रहा है। इस खदान से राजस्व बढ़ेगा। डीएमएफ की राशि इस क्षेत्र से आयेगी।
39. श्री दिलीप कुमार भुवाल, ग्राम-मोहभट्टा, जिला-बेमेतरा।  
➤ पर्यावरण स्वीकृति देनी चाहिए। इससे लोगों को रोजगार मिलता है। पढ़े लिखे लोगों को रोजगार के लिये बाहर नहीं जाना पड़ता है। मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
40. श्रीमती सुनीता शर्मा, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करती हूँ।
41. श्रीमती सुशीला देशलहरे, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करती हूँ।
42. श्रीमती पार्वती, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करती हूँ।
43. श्रीमती बसंती, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करती हूँ।

44. कुमारी संतोषी, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करती हूँ।
45. कुमारी अन्नू, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करती हूँ।
46. कुमारी तनू, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करती हूँ।
47. श्रीमती रेखा, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करती हूँ।
48. श्रीमती चित्ररेखा, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करती हूँ।
49. श्रीमती सुनीता, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करती हूँ।
50. कुमारी कीर्ति कोमल, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करती हूँ।
51. श्री अंकलहा रात्रे, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
52. श्रीमती शांता, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करती हूँ।
53. श्रीमती जलबाई, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करती हूँ।
54. श्रीमती चित्ररेखा, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करती हूँ।
55. श्री लीलादास मानिकपुरी, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
56. श्री विजय कुमार गुप्ता, ग्राम-मोहभट्टा, जिला-बेमेतरा।  
➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।



57. श्री अजय राम, ग्राम-कोदवा, जिला-बेमेतरा।

➤ मैं खदान का समर्थन करता हूँ।


उपरोक्त वक्तव्य के बाद अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला-बेमेतरा तथा क्षेत्रीय अधिकारी, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जगमोहन चंद्रा द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :-

- ❖ यह एक नई खदान है। ब्लास्टिंग अप्रूव कांट्रेक्टर से ही कराया जायेगा।
- ❖ खदान के चारों ओर 7.5 मीटर की परिधि में वृक्षारोपण किया जायेगा।
- ❖ प्रदूषण नियंत्रण के लिये व्यवस्था करवाया जायेगा।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 83 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका-टिप्पणीयां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के कुल 57 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका-टिप्पणीयां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय में से कुल 38 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला-बेमेतरा द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जनसमुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 12.25 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।



क्षेत्रीय अधिकारी,  
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई



अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी  
जिला-बेमेतरा